कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची ।

पत्रांक : 13E-19(A)76/2001-2585 दिनांक : 6.8.15

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड, रांची ।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची ।
सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ।
सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक ।
सभी वन संरक्षक
सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी ।

विषय : निजी वृक्ष / वृक्षों के मालिकों को परिवहन अनुज्ञां पत्र निर्गत करने में तत्परता बरतने के संबंध में ।

महाशय,

विभिन्न स्रोतों से यह सूचना अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुई है कि राज्य में रैयती भूमि पर स्थित वृक्ष / वृक्षों के मालिकों को अपनी आवश्कतानुसार जब काष्ठ के परिवहन के लिए परिवहन अनुज्ञां पत्र की आवश्यकता होती है तो उन्हें नियमानुसार परिवहन अनुज्ञां पत्र प्राप्त करने में काफी कठिनाईयां होती है और इसमें काफी समय लग जाता है ।

आप सहमत होंगे कि वन विभाग के अधिकारियों का दायित्व राज्य की वनों की सुरक्षा के साथ–साथ, राज्य की जनता के लिए तत्परता से आवश्यकतानुसार वन पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना भी है । वृक्ष / वृक्षों के मालिकों द्वारा मांग किये जाने पर ससमय परिवहन अनुज्ञां पत्र निर्गत करने की व्यवस्था करना सभी संबंधित वन अधिकारियों का दायित्व है ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि आप सभी एवं आपके अधीनस्थ अधिकारी को इस बात को सुनिश्चित करें कि जब यदि कोई भी व्यक्ति अपने वृक्ष / वृक्षों की काष्ठ का परिवहन करने के लिए परिवहन अनुज्ञां पत्र का मांग करता है तो उसे नियमानुसार परिवहन अनुज्ञां पत्र जल्द–से–जल्द निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराया जाय एवं इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि जन सामान्य को इस कारण कठिनाई नहीं हो ।

विश्वासभाजन,
ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची ।

ज्ञापांक : 2585 दिनांक : 6.8.15

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची ।

ज्ञापांक : 2585 दिनांक : 6.8.15

प्रतिलिपि ENVIS Centre, वन भवन, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5/8

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची ।